''उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद्''
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून
दूरभाष 0135– 2781941, 2781942
Website: http://ssa.uk.gov.in E-mail - spd-ssa-uk@.nic.in
Toll Free Number:- 1800-180-4132

राज्य परियोजना निदेशक

आ0सं0 : रा0प0का0 / 915 / प्रशा0वा0नी0 / 2022–23, दिनांक 08 अगस्त, 2022

कार्यालय–आदेश

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड में अवस्थित निष्प्रयोज्य वाहन संख्या UA07H1199 (BOLERO LX WD, DIESEL LMV, MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED) की नीलामी हेतु गठित समिति के माध्यम से नीलामी दिनांक 22 अगस्त 2022 को सम्पन्न की जायेगी। नीलामी से सम्बन्धित समस्त नियम एवं शर्तें तथा विस्तृत विवरण विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाईट **https://schooleducation.uk.gov.in** तथा समग्र शिक्षा की वेबसाईट **https://ssa.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(बंशीधर तिवारी)
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

पृ0सं0 रा0प0का0 / 915 / प्रशा0वा0नी0 / 2022–23, दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

01– सम्पादक, 'अमर–उजाला', 'दैनिक जागरण' एवं 'हिन्दुस्तान' को इस आशय के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रकाशित होने वाले समस्त संस्करणों में डी0ए0वी0पी0 दरों के अन्तर्गत न्यूनतम आकार में दिनांक 11 अगस्त को अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने का कष्ट करें।

02– श्री मुकेश ध्यानी, सिस्टम एनालिस्ट, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड तथा श्री मुकेश बहुगुणा, एमआईएस समन्वयक, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति को समग्र शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

(बंशीधर तिवारी)
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

''उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद''
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून
दूरभाष 0135– 2781941, 2781942
Website: http://ssa.uk.gov.in E-mail - spd-ssa-uk@.nic.in
Toll Free Number:- 1800-180-4132

राज्य परियोजना निदेशक

आ0सं0 : रा0प0का0 / 914 / प्रशा0वा0नी0 / 2022–23, दिनांक 8 अगस्त, 2022

कार्यालय–आदेश

राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड में अवस्थित निष्प्रयोज्य वाहन संख्या UA07H1199 (BOLERO LX WD, DIESEL LMV, MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED) की नीलामी हेतु गठित समिति के माध्यम से नीलामी दिनांक 22 अगस्त 2022 को निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जायेगी :–

1. नीलामी की कार्यवाही ठीक प्रातः 10:30 बजे प्रारम्भ होकर सांय 05:00 बजे तक होगी। यदि 01 दिवस में नीलामी नहीं हुयी तो दूसरे दिन भी नीलामी होगी।
2. प्रत्येक व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने के लिए सम्बन्धित अधिकारी / कार्मिक के पास रू0 5000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) जमा कर टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जमा धनराशि के पश्चात जिसके नाम पर नीलामी की बोली छुटेगी, उसको छोड़कर सभी की जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी अधिकारी को उच्चतम या कोई भी बोली स्वीकार न करने का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति, जिस पर किसी प्रकार का संदेह हो नीलामी अधिकारी द्वारा नीलामी में भाग लेने से रोका जा सकता है।
4. अन्तिम बोली की स्वीकृति नीलामी समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।
5. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बदले में बोली लगाने का अधिकारी नहीं होगा। जब तक उसके पास कानूनी अधिकार न हो। जिसको नीलामी अधिकारी को दिखाकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
6. वाहन जैसा है, जिस स्थिति में है में नीलाम होगा, इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मान्य नहीं होगी। वाहन के लिए बोली बोलने वाले की यह अपनी जिम्मेदारी होगी, कि वह पहले वाहन का निरीक्षण कर लें।
7. नीलामी अधिकारी को संदेह हो कि बोली बोलने वालों ने रिंग बना लिया है और वाहन के दाम ठीक नहीं आ रहे हैं, तो नीलामी निरस्त कर सकते हैं।
8. नीलामी अधिकारी को कारण बताये बिना वाहन को नीलामी से पृथक करने का अधिकार होगा।
9. उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी वाहन का 25 प्रतिशत धन अर्नेस्ट मनी के रूप में नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद नगद जमा करना होगा। शेष धनराशि 03 कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा करनी होगी।
10. समस्त वादों का न्यायिक क्षेत्र देहरादून होगा।
11. नीलामी में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति को दिवालिया न होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. वाहन की नीलामी हेतु न्यूनतम मूल रू0 82,000.00 निर्धारित किया गया है।

(बंशीधर तिवारी)
राज्य परियोजना निदेशक
समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।